



EAST COAST RAILWAY

मुख्य कार्मिक अधिकारी का कार्यालय/  
Office of the Chief Personnel Officer  
द्वितीय तल, - 751 017  
Rail Sadan, IInd Floor, Bhubaneswar-751 017

स्थापना क्रमांक/ Estt. Srl. No. 186/2016  
पूतरे/कार्मिक/आर/ECOR/Pers/R/Selection.

Date: 10.1.2017

सेवा में,

सभी प्रमुख विभागाध्यक्षों/समन्वयक विभागाध्यक्षों, पू त रे/भुवनेश्वर  
मं.रे.प्र/व.मं.का.अधिकारी/मं.का.अधिकारी-खोरधारोड,वालातेरु, संबलपुर,  
मु;कारखाना प्रबंधक/कारखाना कार्मिक अधिकारी- मंचेश्वर, अतिरिक्त रजिस्ट्रार/रेल दावा अधिकरण,  
व.का अधिकारी(नि)/भुवनेश्वर  
महा सचिव/इकोर श्र. कां., महा सचिव/इकोर श्र. यू.,  
महा सचिव/एआई ओ बी सी आर ई ए, महा सचिव/ ए आई एस सी एस टी आर ई ए

विषय /Sub: Rationalisation of Supervisions of Loco running Staff.

पूतरे के विषय क्रमांक/ECOR's Subject Serial No. EPS-23/2016

\*\*\*\*\*

उपर्युक्त विषय पर बोर्ड पत्र सं E(P&A)II-2009/RS-17/Pt.I दिनांक 27.12.2016 की  
प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है।

A copy of the Board's letter No. E(P&A)II-2009/RS-17/Pt.I dated 27.12.2016 on  
the above quoted subject is forwarded herewith for information, guidance and necessary  
action.

Encl: As above,

(L.Prem Kumar)

Dy.Chief Personnel Officer(IR&W)  
For Chief Personnel Officer

प्रतिलिपि प्रेषित/Copy to :

- 1) महाप्रबंधक के सचिव/पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर
- 2) मुकाधि/मुकाधि(प्रशा.), उप म.प्र, अध्यक्ष(रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ)
- 3) उप मुख्य प्रबंधक(सू.प्रौ), उप मुकाधि(औ.सं.एवं कल्याण), वकाधि(इंजी.)
- 4) वकाधि(मुख्या.), वकाधि(स्टाफ), वकाधि(राज. एवं न्याया.)
- 5) मुकाधि के निजी सचिव/सहा.कार्मिक अधि.(मुख्या.-1),सहा.कार्मिक अधि.(कल्याण),
- 6) सहा.कार्मिक अधि.(बिल), सहा.कार्मिक अधि.(भर्ती),

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 27.12.2016

सं. ई(पीएंडए)11-2009/आरएस-17/पार्ट.1

महाप्रबंधक,

सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि

विषय: लोको रनिंग पर्यवेक्षकों के पर्यवेक्षण को तर्कसंगत बनाना।

संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दिनांक 27-03-2014 एवं 23-07-2014 का पत्र

सं. ई(पीएंडए)11/2009/आरएस-17

+++++

कुछ क्षेत्रीय रेलों ने लोको रनिंग पर्यवेक्षकों के पद को भरने के मामले पर स्पष्टीकरण मांगा था।

2. रेलवे बोर्ड के दिनांक 27-03-2014 एवं 23-07-2014 के समसंख्यक पत्र के अनुसार यह सूचित किया गया था कि क्रू नियंत्रकों/पावर नियंत्रकों आदि के पदों को भरने का मामला रेलवे बोर्ड के यांत्रिक तथा वित्त निदेशालय के परामर्श से विचाराधीन है और जैसे ही इस मामले का अंतिम रूप दिया जाएगा, रेलवे बोर्ड के स्थापना निदेशालय से उपयुक्त अनुदेश जारी किए जाएंगे। यह भी सूचित किया गया था कि इस संबंध में बोर्ड के दिनांक 09-01-1998 तथा 26-03-2009 के पत्र में निहित मौजूदा अनुदेशों का सख्ती से पालन किया जाए।

3. यह ध्यान में आया है कि कुछ क्षेत्रीय रेलों ने बोर्ड के दिनांक 12-11-2012 के पत्र, जिसे आस्थगित रखा गया है, के अनुसार मुख्य क्रू नियंत्रक के पदों पर लोको निरीक्षकों को तैनात किया है। इसलिए यह पुनः दोहराया जाता है कि बोर्ड के दिनांक 27-03-2014 एवं 23-07-2014 के पत्र में निहित अनुदेशों का सख्ती से पालन किया जाए।

प्रो. सलीम अहमद

(सलीम मो. अहमद)

उप निदेशक/ ई(पीएंडए)11,

रेलवे बोर्ड.

प्रतिलिपि प्रेषित: वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां।